

Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

मो0 सईद

बनाम

सरकार

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं0

074

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी मोहम्मद सईद पिता मोहम्मद हनीफ निवासी कच्ची बस्ती आरा मशीन के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की ओर से पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 216/2023 दिनांक 14.06.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3 एवं 5 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1955 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 SF 6343 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/निल दिनांक 26.07.2023 से दीगर प्रकरण संख्या 072/2023 में प्रेषित की जिसकी छायाप्रति इस पत्रावली में हम किता है। अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिमत का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 SF 6343 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 SF 6343 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये 70,000/- अक्षरे सत्तर हजार रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	

-S/d-

(पीयूष समारिया)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

23.08.2023

